न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व), श्रीकरणपुर

पीठासीन अधिकारी : रीना छिम्पा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 84/2018

जगरूप सिह बनाम स्टेट आफ राजस्थान

अन्तर्गत धारा 88 आरटीए

--निर्णय-- दिनांक : २१.१२.१८

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि 4 एस के मु0 नं0 38, चक 6 एस के मु0 नं0 29,30 मे उक्त जमीन की जमाबंदी मे प्रार्थी का नाम बलवीर सिह अंकित है जो गलत है प्रार्थी का सही तथा वास्तविक नाम जगरूप सिह है। जबकि आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, में नाम जगरूप सिह अंकित है। अतः राजस्व रिकार्ड में नाम बलवीर सिह के स्थान पर जगरूप सिह दर्ज किया जावे।

सरपंच ग्राम पंचायत 4 एस मलकाना खुर्द के द्वारा इस संबंध में प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है कि बलवीर सिह पुत्र चनन सिह व जगरूप सिह पुत्र चनन सिह जाति जटसिख दोनो नाम एक ही व्यक्ति के है इनको दोनो नामो से जाना जाता है। प्रार्थी के द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के साथ आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र एवं शपथ पत्र की छाया प्रतियां प्रस्तुत की एवं सीमा सन्देश अखबार मे नाम परिवर्तन संबंधी विज्ञप्ती प्रकाशन की छाया प्रति पेश की। नायब तहसीलदार केसरसिंहपुर के द्वारा अपने पृष्ठांकन क्रमांक 181 दिनांक 28.05.18 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र एवं दस्तावेज शुद्धि हेतु भिजवाये गये।

प्राप्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया एवं विवादित भूमि के सहखातेदारो को जरिए नोटिस तलब किया गया पक्षकार नवजोत सिंह, नरेन्द्र सिंह, देशराज, कुलवन्त कौर उपस्थित आए। एव। शपथपत्र पेश किए शपथ पत्रो मे अंकित किया कि जगरूप सिंह उर्फ बलवीर सिंह को हम अच्छी तरह से जानते एवं पहचानते है। जगरूप सिंह उर्फ बलवीर सिंह दोनों एक ही व्यक्ति के नाम है एवं इसे दोनों नामों से जाना एवं पहचाना जाता है।

बहस सुनी गई वकील वादी के द्वारा प्रार्थना पत्र में अकिंत तथ्यों को दोहराते हुए वादपत्र स्वीकार हेतु निवेदन किया।

बहस पर मनन व पत्रावली का अवलोकन किया गया। चक 6 एस की जमाबंदी संवत 2070 ता 73 के खाता सं0 79 के मु0 नं0 29,30,61/16 की कुल 6.627 हैक्टर नहरी भूमि, चक 4 एस की जमाबंदी सम्वत 2069 ता 72 के खाता संख्या 47/48 के मु0 नं0 38 व 71/14 की 6.323 हैक्टर भूमि मे नाम बलवीर सिह पुत्र चनन सिह अंकित है। चक 6 एस की जमाबंदी सम्वत 2070 ता 73 के खाता संख्या 82/80 मे नाम जगरूप सिह पुत्र चनन सिह अंकित है। आधार कार्ड व मतदाता पहचान पत्र मे जगरूप सिह पुत्र चनन सिह अंकित है। सरपंच ग्राम पंचायत 4 एस मलकाना खुर्द के द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र के अनुसार जगरूप सिह पुत्र चनन सिह व बलवीर सिह पुत्र चनन सिह दोनो नाम एक ही व्यक्ति के है इसे दोनो नामो से जाना जाता है। प्रकरण से सम्बन्धित भूमि के सहखातेदार नवजोत सिंह, नरेन्द्र सिंह, देशराज, कुलवन्त कौर के द्वारा भी इस सम्बन्ध में शपथ पत्र पेश किए है कि जगरूप सिंह उर्फ बलवीर सिंह दोनों एक की व्यक्ति के नाम है जिसे दोनों नामों से जाना व पहचाना जाता है।

उपरोक्त तथ्यों के विवेचन एवं प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज व सरपंच ग्राम पंचायत 4 एस मलकाना खुर्द के द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र व पटवारी हल्का के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर चक 6 एस की जमाबंदी संवत 2070 ता 73 के खाता सं0 79 व चक 4 एस की जमाबंदी सम्वत 2069 ता 72 के खाता संख्या 47/48 मे अंकित नाम बलवीर सिह पुत्र चनन सिह के स्थान पर बलवीर सिह उर्फ जगरूप सिह पुत्र चनन सिह अंकित किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। इन दोनो खातों के शेष अंकन बदस्तूर रहेगें। आदेश

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

इस आशय का तहसीलदार श्रीकरणपुर के नाम जारी हो। पत्रावली निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 21/12/18 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

{रीना छिम्पा आर.ए.एस.}
उपखण्ड अधिकारी {राजस्व}
श्रीकरणपुर

Scanned by CamScanner